

कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्था न सरकार

Scholarships for wards of Deceased State Govt. employees (Renewal)

मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति: (नवीनीकरण)

1	योजना का नाम	Scholarships for wards of Deceased State Govt. employees (Renewal) मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति: (नवीनीकरण)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	मृत राज्य सेवा कर्मियों के पुत्रों/पुत्रियों हेतु छात्रवृत्ति
3	लाभान्वित वर्ग	विद्यार्थी
4	पात्रता	प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का नवीनीकरण पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने की शर्तों पर किया जावेगा।
5	देय सुविधाएं	स्नातक डिग्री अध्ययन हेतु रू. 500/- प्रति दस माह के लिए तथा स्नातकोत्तर डिग्री अध्ययन हेतु रू. 750/- प्रति दस माह के लिए देय होगी ।
6	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर विद्यार्थी उस महाविद्यालय में आवेदन करें जहाँ वे अध्ययनरत हैं
7	आवेदन कहाँ किया जाए	अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करें
8	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन प्रपत्र के अनुसार
9	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य

For details and circulars regarding the scheme visit: <http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in>